



उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग,

लखनऊ

सं०: 1866-स०प्र०-11/पाकालि/2017-49-एस०ए०/1992

दिनांक 05 जून, 2017

कार्यालय ज्ञाप

पूर्ववर्ती राज्य विद्युत परिषद/कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं०: 1974-स०प्र०/राविप-11/97-49-स०प्र०/92, दिनांक 11 अप्रैल, 1997 द्वारा घोषित निस्तारण सारिणी (Channel of Disposal) के बिन्दु सं०-13 पर निर्दिष्ट चैकित्सिक व्यय प्रतिपूर्ति हेतु निस्तारण सारिणी को एतद्वारा निम्नानुसार प्रतिस्थापित करते हुए संशोधित किया जाता है:-

13. चैकित्सिक व्यय प्रतिपूर्ति-

1.	अनु सचिव-उप सचिव	रु० 10,000/- तक
2.	संयुक्त सचिव	रु० 10,001/- से रु० 25,000/- तक
3.	अपर सचिव	रु० 25,001/- से रु० 50,000/- तक
4.	निदेशक (का० प्र० एवं प्रशा०)	रु० 50,001/- से रु० 5,00,000/- तक
5.	निदेशक (का० प्र० एवं प्रशा०)	रु० 5,00,000/- से अधिक (निदेशक-वित्त की सहमति से)

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या: 1866(1)-स०प्र०-11/पाकालि/2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. महाप्रबन्धक (औ०सं०), उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. विधि अधिकारी, उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. समस्त अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. कट फाइल।

आज्ञा से,

8/6/17

(हेमन्त सिंह भण्डारी)

अनु सचिव (स०प्र०)